

नगर निगम, कोटा उत्तर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA NORTH/FIRENOC/2024-25/47642
जारी दिनांक: 06-MAR-2025 वैधता दिनांक: 05-MAR-2026

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MUKESH KUMAR JAIN
आवेदक का पता: KHASRA NO 1370 POST ARJUNPURA TEHSIL LADPURA
CHANDRESAL KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHRI VIJAYVERGIYA SHIKSHAN SANSTHAN, KHASRA NO 1370, CHANDRESAL, CHANDRESAL, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- उक्त एनओसी जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगी। यदि निर्माण कार्य/अग्निशमन प्रावधान (फायर सिस्टम) स्थापित करवाये जाने का कार्य एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण नहीं होता है तो पुनः नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। एक वर्ष के बाद एनओसी स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- आवेदित भवन/ईमारत का निर्माण स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
- भवन/ईमारत में भवन की प्रकृति के अनुरूप फायर हाइड्रेंट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाइप, आपातकालीन निकास द्वार (फायर एस्केप), हीट एवं बीम डिटेक्टर, सीओ2, फ्लूडिंग सिस्टम, फायर सेपरेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, रमोक डिटेक्टर, फायर अलार्म सिस्टम, ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउंड रिजर्व वाटर टैंक मोड्यूलर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
- बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.60 मीटर चौड़ा सुरक्षित गलियारा भवन के चारों ओर बिना अवरोध छोड़ा जाना अनिवार्य होगा। गलियारों में किसी भी प्रकार की पार्किंग/अस्थायी निर्माण आदि अनुज्ञेय नहीं होगा एवं यदि 4.50 मीटर चौड़ा रेम्प पार्श्व व पीछे सेटबैक में बनाया जाता है जो कि किसी भी तरह से अवरुद्ध हुआ ना हो एवं प्रवेश व बाहर (एंट्री/एक्जिट) जाने हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।
- भवन/परिसर की ऊंचाई आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र व प्रस्तुत मानचित्र (आकिटिक प्रमाणित द्वारा वर्तमान में निर्मित या प्रस्तावित या केडीए/निगम/रीको/संबंधित निकाय/विभाग) से स्वीकृत नक्शे में अंकितानुसार मानी जायेगी।
- अस्थायी एनओसी हेतु स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि/प्लेट रहवासी संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- आवेदक का फायर एनओसी, शुल्क तथा फायर सेस एवं अग्निशमन से संबंधित अन्य कोई शुल्क यदि बकाया रहता है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी समय-समय पर परिपत्र अनुसार गणना की जाकर नियमानुसार शुल्क जमा कराया जाना होगा। इसके अभाव में यह अस्थायी एनओसी निरस्त मानी जावेगी।
- उक्त भवन/परिसर में बैसमेंट के निर्माण हेतु स्वीकृति संबंधित नगर निगम कोटा/कोटा विकास प्राधिकरण से लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृत बैसमेंट में केवल मानव रहित कार्य/गतिविधियां संचालित की जायेंगी, लाइब्रेरी/मैस/कम्प्यूटर लैब/कैफे/अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेंगी।
- उक्त भवन/परिसर के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जावेगा। यदि भवन में सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो उसकी स्वीकृति केईडीएल या संबंधित विभाग से प्राप्त करनी होगी।



अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा उत्तर

नगर निगम, कोटा उत्तर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

11. 11.फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जाये इस हेतु पुनः आवेदन कर नियमानुसार मौका निरीक्षण पश्चात् स्थाई एनओसी जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नही करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई एनओसी प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम स्वतंत्र रहेगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा उत्तर